राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1679 / 2014 / भरतपुर.
2. अपील संख्या – 1680 / 2014 / भरतपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, वृत्त–भरतपुर. ....अपीलार्थी.
बनाम
मैसर्स गणपति सेल्स कॉर्पोरेशन, भरतपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. के. बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री श्री ओ. पी. गुप्ता, अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 22 / 09 / 2016

निर्णय

1. यह दोनों अपीलें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, वृत्त–भरतपुर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 130, 131 / आरवीएटी / 2012–13 / उपा / अपील्स / भरतपुर में पारित किये गये आदेश दिनांक 24.12.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 24.12.2013 के द्वारा सक्षम अधिकारी के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 76(6) में आरोपित शास्ति क्रमशः रूपये 1,82,880 / – व रूपये 1,81,200 / – को अपास्त करते हुए अपीलें स्वीकार की है। अपीलीय आदेश के द्वारा अपास्त की गई शास्ति राशि को प्रस्तुत दोनों अपीलों में विवादित किया गया है।

2. उपर्युक्त दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु एवं पक्षकार समान होने के कारण दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। आदेश की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 06.11.2012 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–III, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर द्वारा रोड़ चैकिंग के दौरान लोहा सरिया से भरे हुए दो वाहन क्रमशः RJ-19/GB-3725 व RJ-19/2G-0596 को NH-11 पर घना पक्षी विहार, भरतपुर के पास रोक कर चैक किया गया। दोनों वाहन चालकों द्वारा अपने–अपने वाहन में भरे माल से संबंधित निम्नांकित दस्तावेज जांचकर्ता अधिकारी को वास्ते जांच प्रस्तुत किये गये –

लगातार................2

1. मैसर्स बालाजी रोड़ लाईन्स, भरतपुर की बिल्टी क्रमांक : 6 दिनांक 05.11.2012
2. मैसर्स गणपति सैल्स कॉर्पोरेशन, भरतपुर का वैट बीजक क्रमांक : GS/12-13/0004 दिनांक 05.11.2012 जो कि मैसर्स प्रेमचन्द पवन कुमार, टोडाभीम के लिए जारी किया गया था।
3. मैसर्स बालाजी रोड़ लाईन्स, भरतपुर की बिल्टी क्रमांक: 5 दिनांक 05.11.2012
4. मैसर्स गणपति सैल्स कॉर्पोरेशन, भरतपुर का वैट बीजक क्रमांक: GS/12-13/0003 दिनांक 05.11.2012 जो कि मैसर्स प्रेमचन्द पवन कुमार, टोडाभीम के लिए जारी किया गया था।

4. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा परिवहनित किये जा रहे माल को बोगस एवं कूटरचित दस्तावेजों से परिवहनित होना मानते हुए वैट अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की गई।

5. अपीलार्थी सक्षम अधिकारी की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने बहस के प्रारम्भ में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को सक्षम अधिकारी के कार्य की अधिकता व एडवोकेट्स की माह जुलाई व अगस्त में हड़ताल के कारणों का उल्लेख करते हुए कन्डोन करने की प्रार्थना की। बहस के क्रम में उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अविधिक होने का कथन किया। बहस में आगे कथन किया कि वाहन की चैकिंग के समय ड्राईवर के बयानों के आधार पर यह पाया गया कि माल आयरन रॉड दुर्गापुरा, वैस्ट बंगाल से टोडाभीम लाया जा रहा था। चैकिंग के समय विक्रेता गणपति सेल्स कॉर्पोरेशन भरतपुर द्वारा दिनांक 05.11.2012 को जारी बिल व मैसर्स प्रेमचन्द्र पवन कुमार, टोडाभीम के नाम की बिल्टी साथ में थी। बिल जारी करने वाली विक्रेता फर्म का पता रिहायशी इलाके का था। वाहन की जांच के पश्चात् विक्रेता व्यवहारी के पते पर जांच कराये जाने पर पाया गया कि वहाँ कोई व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं होता है। इस प्रकार बोगस एवं कूटरचित दस्तावेजों से परिवहनित माल पर शास्ति का आरोपण विधिसम्मत होना बताया। अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करने की मांग करते हुए अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया व अपने पक्ष में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये —

(A) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड—द्वितीय, प्रतिकरापवंचन वृत्त—द्वितीय, कोटा बनाम मैसर्स एसोसियेटेड स्टील इण्डस्ट्रीज, न्यायिक दृष्टान्त 15 टैक्स अपडेट पेज 169 (राजस्थान उच्च न्यायालय)

लगातार................3

(B) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट—प्रथम, बून्दी बनाम मैसर्स ताराचन्द जैन, अजमेर न्यायिक दृष्टान्त 12 टैक्स अपडेट पेज 285 (राजस्थान कर बोर्ड)

(C) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन—प्रथम, पाली, बनाम मैसर्स सर्वोत्तम वैजिटेबल प्रोडक्टस लि., नागौर न्यायिक दृष्टान्त 15 टैक्स अपडेट 252 (राजस्थान कर बोर्ड)

(D) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वितीय, वृत्त—प्रतिकरापवंचन, जोधपुर बनाम मैसर्स मालवा आयरन स्टोर अजमेर न्यायिक दृष्टान्त 32 टैक्स अपडेट 328 (राजस्थान कर बोर्ड)

(E) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी करापवंचन घट—द्वितीय, कोटा बनाम मैसर्स चाँदवाड़ ब्रदर्स कोटा न्यायिक दृष्टान्त 12 टैक्स अपडेट 358 (राजस्थान कर बोर्ड)

बहस के अन्त में विद्वान अभिभाषक द्वारा राजस्व की दोनों अपीलें अस्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

7. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया। अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया गया। इन प्रकरणों में अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 24.12.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों के साथ संलग्न मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में अंकित कारणों को पर्याप्त एवं संतोषप्रद मानते हुए अपीलें प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन करते हुए दोनों अपीलें अन्दर मियाद स्वीकार की जाती हैं।

8. पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 06.11.2012 को जांच के समय प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों से यह अवधारित किया गया कि दस्तावेज बोगस एवं कूटरचित है। सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को धारा 76(6) के अन्तर्गत जारी नोटिस की पालना में दिनांक 07.11.2012 को लिखित उत्तर प्रस्तुत किया जिसमें प्रेषिति क्रेता के द्वारा पुष्टि की गई, प्रेषिति क्रेता के पंजीकरण प्रमाण पत्र की कॉपी प्रस्तुत की गई, केश बुक, बिक्री/खरीद खाता व स्टॉक रजिस्टर की कॉपी प्रस्तुत की गई। खरीद इनवॉइस, जी.आर., वैट—47 पश्चिम बंगाल के विक्रेता व्यवहारी का पंजीयन प्रमाण पत्र व श्योरिटी बॉण्ड प्रस्तुत किया गया। विक्रेता व्यवहारी मैसर्स गणपति सेल्स कॉर्पोरेशन भरतपुर में पंजीकृत फर्म है जिसका टिन नं. 08730803505 है जिसने आयरन बार मैसर्स शिवम मैटल्स दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) से वैट इनवॉइस व वैट 47 संख्या 3249785 है, से माल आयात किया गया है। माल के परिवहन के दौरान ही उसने मैसर्स प्रेमचन्द पवन कुमार टोडाभीम को आयरन बार बेच दिया। मैसर्स

लगातार................4

गणपति सेल्स कॉर्पोरेशन ने खरीदे गये माल को अपने खाताबही में दर्ज किया है तथा बिक्री बिल नं. 03 दिनांक 05.11.2012 जारी किया है। वैट अधिनियम की धारा 76(2)(बी) में विहित आवश्यक दस्तावेज यथा वैट इनवॉइस, जी.आर. माल विवरण, प्रेषक प्रेषिती विवरण माल के साथ संलग्न थे।

9. वैट अधिनियम की धारा 76 निम्न प्रकार है —

76. Establishment of check–post or barrier and inspection of goods while in movement. –

(1) The Commissioner may, with a view to prevent or check avoidance or evasion of tax, by notification in the Official Gazette, direct the setting up of a check–post or the erection of barrier or both, at such places as may be specified in the notification, and every officer or official who exercises his powers and discharges his duties at such check–post or barrier by way of inspection of documents produced and goods being moved shall be its Incharge.

(2) The owner or a person duly authorised by such owner or the driver or the person Incharge of a vehicle or carrier or of goods in movement shall–

(a) stop the vehicle or carrier at every check post or barrier, and while entering and leaving the limits of the State bring and stop the vehicle at the nearest check post or barrier, set–up under sub–section (1);

(b) carry with him a goods vehicle record including "challans" and "bilties", invoices, prescribed declaration forms and bills of sale or despatch memos;

(c) produce all the documents including prescribed declaration forms relating to the goods before the Incharge of the check–post or barrier;

(d) furnish all the information in his possession relating to the goods; and

(e) allow the inspection of the goods by the Incharge of the check–post or barrier or any other person authorised by such Incharge.

Explanation.– For the purpose of this Chapter 'goods in movement' shall mean –

(i) the goods which are in the possession or control of a transporting agency or person or other such bailee;

(ii) the goods which are being carried in a vehicle or carrier belonging to the owner of such goods; and

(iii) the goods which are being carried by a person.

लगातार................5

(3) The State Government may require by notification that the documents required to be furnished under sub–section (2), shall be furnished by means of such electronic devices, and be accompanied by such processing fee, as may be prescribed.

(4) Where any goods are in movement within the territory of the State of Rajasthan, the assessing authority or an officer authorized by the Commissioner in this behalf may stop the vehicle or the carrier or the person carrying such goods, for inspection, at any place within his jurisdiction and the provisions of sub–section (2) shall *mutatis mutandis* apply.

(5) Where any goods in movement, other than exempted goods, are without documents, or are not supported by documents as referred to in sub–section (2), or documents produced appears to be false or forged, the Incharge of the check–post or barrier or the officer authorized under sub–section (4), may–

(a) direct the owner or a person duly authorised by such owner or the driver or the person Incharge of the vehicle or carrier or of the goods not to part with the goods in any manner including by re–transporting or re–booking, till a verification is done or an enquiry is made, which shall not take more than seven days;

(b) seize the goods for reasons to be recorded in writing and shall give a receipt of the goods to the person from whose possession or control they are seized;

(c) release the goods seized under clause (b) to the owner of the goods or to a person duly authorised by such owner, during the course of the proceeding, if adequate security of the amount equal to the estimated value of the goods is furnished.

(6) The Incharge of the check–post or barrier or the officer authorized under sub–section (4), after having given the owner of the goods or person duly authorised in writing by such owner or person Incharge of the goods, a reasonable opportunity of being heard and after having held such enquiry as he may deem fit, shall impose on him for possession or movement of goods, whether seized or not, in violation of the provisions of clause (b) of sub–section (2) or for submission of false or forged documents or declaration, a penalty equal to thirty percent of the value of such goods.

(7) During the pendency of the proceeding under sub–section (6), if any person appears before the Incharge of the check–post or barrier or the officer authorized under sub–section (4) and prays for being impleaded as a party to the case on the ground of involvement of his interest therein, the said Incharge or the officer on being satisfied may permit him to be impleaded as a party to the case; and thereafter, all the provisions of this section shall *mutatis mutandis* apply to him.

लगातार................6

(8) The Incharge of the check–post or barrier or the officer authorized under sub–section (4) may release the goods to the owner of the goods or to a person duly authorised by such owner, if seized and not already released under clause (b) of sub–section (5), on payment of the penalty imposed under sub–section (6) or on furnishing such security for the payment thereof, as such Incharge or officer may consider necessary.

(9) Where the owner or a person duly authorised by such owner or the driver or the person Incharge of the vehicle or the carrier is found guilty for violation of the provisions of sub–section (2), the Incharge of the check–post or barrier or the officer authorized under sub–section (4) may detain such vehicle or carrier and after affording an opportunity of being heard to such owner, driver or person, may impose a penalty equal to thirty percent of the value of such goods.

(10)The Incharge of the check–post or barrier or the officer authorized" under sub–section (4) may release the vehicle or the carrier on the payment of the amount of penalty imposed under sub–section (9) or on furnishing such security as may be directed by such Incharge or officer.

(11)Notwithstanding anything contained in this section, where the driver or the person Incharge of the vehicle or the carrier abstains from bringing or stopping the vehicle or carrier at the nearest check–post as provided under clause (a) of subsection (2), the Incharge of the check–post or the officer authorized under sub–section (4) may detain such vehicle or carrier and, after affording an opportunity of being heard to the owner or a person duly authorised by such owner or the driver or the person Incharge of the vehicle or carrier, may impose a penalty equal to fifty percent of the value of such goods.

(12)If a transporter fails to give information as required from him under clause (d) of sub–section (2) about the consignor, consignee or the goods within such time as may be specified or transports the goods with false or forged documents, besides imposing the penalty under sub–section (6), it shall be presumed that the goods so transported have been sold in the State of Rajasthan by him and he shall be deemed to be a dealer for those goods under this Act.

(13)The provisions of this Act shall, for the purpose of levy, collection and assessment of tax, determination of interest, payment and recovery of tax and interest, appeal, review or revision, apply to the transporter deemed to be a dealer under sub–section (12).

लगातार................7

10. अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में निष्कर्ष निम्न प्रकार दिया है – ''कर निर्धारण अधिकारी ने दोनों प्रकरणों में जांचकर्ता अधिकारी एवं संक्षम अधिकारी द्वारा बिना विस्तृत जांच किये एवं प्रेषक व प्रेषिति के संबंध में विपरित तथ्यों के प्रमाण के अभाव में प्रस्तुत एवं जारी दस्तावेजों को बोगस एवं कूटरचित माना है जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि रिकॉर्ड के परिशीलन से स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी द्वारा इन दोनों प्रकरणों में माल का परिवहन पूर्णतः वैध दस्तावेजों से किया जा रहा था जिससे अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा दिनांक 07.11.2012 को प्रस्तुत प्रमाणों, दस्तावेजों से करापवंचन संबंधी दर्शायी गई आशंका का समाधान अपीलार्थी द्वारा कर दिया गया था, जिसके समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स डी.पी. मेटल्स के निर्णय से भी अपीलार्थी के तर्कों को बल मिलता है। इसी प्रकार अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा बहस के दौरान उद्धरित किये गये माननीय कर बोर्ड के ACTO V/s Tarachand Jain reported in 12 TUD 285 एवं CTO V/s M/s Malwa Iron Store reported in 32 TUD 328 के निर्णयों में भी यही अवधरित किया गया है कि माल के परिवहन के समय उसके साथ बिल एवं बिल्टी होने पर अधिनियम की धारा 76(6) की पालना पूर्ण मानी जावेगी।''

11. हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त समस्त तथ्यात्मक एवं विधिक विवेचना के पश्चात यह निष्कर्षित किया जाता है कि वैट अधिनियम की धारा 76(2) की पालना नहीं किये जाने के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी ने कोई विधिसम्मत निष्कर्ष नहीं दिया है, स्वयं के द्वारा अवधारित मत के आधार पर शास्ति आरोपण की कार्यवाही की है। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है, अतः उसकी पुष्टि की जाती है। अपीलार्थी राजस्व की अपीलें अस्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती हैं।

12. निर्णय सुनाया गया।

22/09/2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य